[2021] 12 एस. सी. आर. 578

मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

& एएनआर

(सिविल अपील सं। 4476-4477 2021 का)

09 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्या कांत और विक्रम नाथ, जे. जे.]

दलीलें: वाद/परिवाद का संशोधन-क्या सिविल वाद में वाद की प्रकृति में अभिवचन या उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायत में संशोधन किया जाना चाहिए, यह वादी के लिए एक मामला है या, जैसा भी मामला हो, शिकायतकर्ता को यह निर्धारित करना है-जो पक्ष मंच को आगे बढ़ाता है वह डोमिनस लिटिस है और यह तय करने का हकदार है कि अभिवचन में संशोधन करना है या नहीं या शिकायत को आगे बढ़ाना है।

जैसा कि यह है-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986: एस. 13 (1) बीमाकृत-अपीलार्थी ने बीमाकर्ता-प्रत्यर्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि बीमाकर्ता

बीमित व्यक्ति के सौर ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुँचाने वाले तूफानों से उत्पन्न बीमित व्यक्ति के बीमा दावे का निपटान करने में विफल रहा-बीमाकर्ता ने एस द्वारा निर्धारित समय के भीतर लिखित विवरण दाखिल नहीं किया। 13 (1) अधिनियम का-बीमाकर्ता ने दावे को खारिज करने के लिए आई. ए. दायर किया-अनुबंध को अस्वीकार करने के लिए आई. ए. में कोई संदर्भ नहीं दिया गया-उसी दिन, बीमाकर्ता ने बीमाकृत के दावे को अस्वीकार करते हुए एक पत्र जारी किया-इस बीच, बीमाकृत ने अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट की मांग करते हुए आई. ए. दायर किया-राष्ट्रीय आयोग ने आई. ए. का निपटारा किया और बीमाकृत को संशोधित शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया और बीमाकर्ता को एक लिखित बयान दायर करने का अवसर दिया-चुनौती-आयोजित: यह बीमाकृत को तय करना था कि क्या शिकायत में संशोधन किया जाना चाहिए या क्या यह अभिवचनों के साथ आगे बढ़ने के विकल्प का पीछा करेगा जैसा कि वे खड़े हैं-बीमाकृत को बीमाकृत के अनुबंध के अस्वीकृति को चुनौती देने के लिए शिकायत में संशोधन करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था।

उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहता-इसे देखते हुए, उसे शिकायत में संशोधन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत, जैसा कि यह है, बीमाकर्ता को दावे का निपटान करने और भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

578 मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।

बीमाकर्ता ने दावे को खारिज कर दिया। अपीलार्थी के लिए इस तर्क में योग्यता है कि अपीलार्थी को शिकायत में संशोधन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। दीवानी मुक़दमे में वाद की प्रकृति में अभिवचन या उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायत में संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं, यह वादी या, जैसा भी मामला हो, शिकायतकर्ता को निर्धारित करना है। जो पक्ष मंच को आगे बढ़ाता है, उसे यह तय करने का अधिकार है कि वह अभिवचन में संशोधन करेगा या शिकायत को आगे बढ़ाएगा, जैसा कि वह खड़ा है। अपीलार्थी का तर्क है कि शिकायत में जो राहत मांगी गई है, वह केवल शिकायत के निपटारे के लिए नहीं है।

लेकिन देय राशि के भुगतान के अलावा और इसलिए, शिकायत को निष्फल नहीं बनाया गया है। के अनुसार

अपीलार्थी के लिए, एक उचित अवधि से परे दावे के विलंबित अस्वीकृति का कोई परिणाम नहीं है। [पैरा 9] [582-एच; 583-ए-सी]

2. वर्तमान स्थिति में, अपीलार्थी

कार्रवाई के तीन पाठ्यक्रमों में से किसी एक का सहारा ले सकते हैं, अर्थात्: ((i) शिकायत को आगे बढ़ाना; या (ii) अस्वीकृति पत्र को चुनौती देने के लिए शिकायत में संशोधन करना; या (iii) अस्वीकृति पत्र को चुनौती देने के लिए एक नई शिकायत स्थापित करने की स्वतंत्रता के साथ मौजूदा शिकायत को वापस लेना। [पैरा 11] [583-एफ-जी]

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली

बहुउद्देशीय शीत भंडारण निजी लिमिटेड (2020) 5

इसके बाद एस. सी. सी. 757 आया।

मामला कानून संदर्भ

(2020) 5 एस. सी. सी. 757

पीछा किया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.4476

4477 2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 11.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली, आई. ए. No.3463 2019 के उपभोक्ता मामले संख्या 1934 में 2020 का और 2021 का आई. ए. संख्या 1346।

मोहित डी. राम, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अमित कुमार सिंह, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, सुश्री चुबलेमा चांग,

अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. ये अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 11 मार्च 2021 के आई. ए. 3463 के एक आदेश से उत्पन्न होती हैं। 2020 और 2021 का आई. ए. 1346।

2. अपीलार्थी ने 28 सितंबर 2019 को एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की, जो 2019 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 1934 थी। संक्षेप में कहा गया है कि अपीलार्थी की शिकायत यह थी कि पहला प्रतिवादी अपीलार्थी के बीमा दावे का निपटान करने में विफल रहा था, जो दो कथित तूफानों से उत्पन्न हुआ था, जिसने अपीलार्थी के सौर ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया था। शिकायत में जिस राहत का दावा किया गया था, वह संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे दी गई है:

" (i) उत्तरदाताओं को बीमा पॉलिसी के अनुसार शिकायतकर्ता के दावे का तुरंत निपटारा करने और निम्नलिखित का भुगतान करने का निर्देश दें:

ए. सामग्री के नुकसान के लिए बीमा दावा

आई. एन. आर. 13,91,78,987.75/- और

बी. आई. एन. आर. 6,00,00,000/तक के व्यावसायिक व्यवधान के लिए बीमा दावा

(ii) उत्तरदाताओं को देरी की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दें।

शिकायतकर्ता ने घटना और दावे के बारे में सूचित किया, अब तक

शिकायतकर्ता के दावे का वास्तविक भुगतान; और

(iii) उत्तरदाताओं को उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा, धोखाधड़ी के कारण INR 1,00,00,000/- के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दें।

& धोखाधड़ी, कठिनाई और असुविधा के कारण

सेवाओं में कमी, लापरवाही के कार्यों के कारण शिकायतकर्ता और

उत्तरदाताओं की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार; और

(iv) प्रत्यर्थियों को मुकदमेबाजी के लिए आई. एन. आर. 5,00,000/- का भुगतान करने का निर्देश दें।

खर्च '।

3. 17 अक्टूबर 2019 को एन. सी. डी. आर. सी. ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" सुना है।

शिकायत को केवल अपवादों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1 " एन. सी. डी. आर. सी. मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13 (2) के तहत विरोधी पक्ष को शिकायत का नोटिस जारी करें जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि विरोधी पक्ष अपना लिखित बयान दाखिल करना चाहता है, तो वह शिकायत की सूचना की सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसा कर सकता है, जिसमें विफल रहने पर लिखित बयान दायर करने का अधिकार हो सकता है। बन्द "।

4. शिकायत की सूचना पहले प्रतिवादी को 5 नवंबर 2019 को दी गई थी। प्रथम उत्तरदाता ने अपना लिखित बयान दाखिल नहीं किया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 13 (1) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर। 6 मार्च 2020 को, पहले प्रतिवादी ने 2020 का आई. ए. 3463 दायर कर उपभोक्ता शिकायत को इस आधार पर खारिज करने की मांग की कि यह समय से पहले की गई थी। आवेदन के पैराग्राफ 10 में, अभिकथन निम्नलिखित प्रभाव का था:

" 10. यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता के असहयोगी रवैये ने बीमाकर्ता को दावे की जांच करने में बाधा उत्पन्न की है और इसलिए सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित दस्तावेजों के सत्यापन और जांच की प्रगति प्रगति पर है और

इसलिए तत्काल शिकायत समय से पहले की जाती है और होनी चाहिए।

अकेले इस आधार पर खारिज कर दिया गया।

2020 , अपीलार्थी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह याचिका दायर की कि लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई है। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी में इस न्यायालय की संविधान पीठ

लिमिटेड बनाम हिल्ली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड 3.

अपीलार्थी द्वारा दायर 2021 के प्रथम प्रतिवादी और आई. ए. 1346 को एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा सुना गया और 11 मार्च 2021 के एक आदेश द्वारा उनका निपटारा कर दिया गया है। एन. सी. डी. आर. सी. ने अपीलार्थी को एक संशोधित शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है और पहले प्रतिवादी को लिखित बयान दायर करने का अवसर दिया है। अपीलार्थी ने तदनुसार आदेश को इस हद तक चुनौती दी है कि वह अपीलार्थी को संशोधित शिकायत दर्ज करने का निर्देश देता है। 2. " अधिनियम "

3 3 (2020) 5 एससीसी 757 [2021] 12 एस. सी. आर.

और प्रथम प्रत्यर्थी को इस आधार पर संशोधित शिकायत पर लिखित बयान दायर करने की अनुमति देता है कि यह अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित धारा 13 (2) के प्रावधानों के विपरीत है।

7. अपीलार्थी की ओर से, वकील द्वारा जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि पहला प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहा

धारा 13 (1) द्वारा निर्धारित बाहरी सीमा के भीतर (जैसा कि धारा 22 के प्रावधानों द्वारा एन. सी. डी. आर. सी. पर लागू किया गया है)। नतीजतन, यह आग्रह किया गया है कि एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा अपीलार्थी को शिकायत में संशोधन करने की आवश्यकता के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और पहले

प्रतिवादी को संशोधित शिकायत पर लिखित बयान दायर करने का अवसर देने से अपीलार्थी को उस अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा जो लिखित शिकायत दर्ज करने में पहले प्रतिवादी की विफलता से अर्जित हुआ है। कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर बयान। इस संदर्भ में, हिल्ली में संविधान पीठ के फैसले पर निर्भरता रखी गई है

बहुउद्देशीय शीत भंडारण निजी लिमिटेड (ऊपर)। 8. दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि राहत की मांग की गई थी।

धारा 13 (1) में, बीमाकर्ता ने 6 मार्च 2020 को दावे को अस्वीकार कर दिया था, शिकायत में मांगी गई राहत ने खुद काम किया और इसलिए, बीमाकर्ता का यह निवेदन होगा कि शिकायत को निष्फल कर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया था कि एन. सी. डी. आर. सी. एक निर्देश जारी करने में उचित था कि अपीलार्थी को शिकायत में संशोधन करें। इसके अलावा, एक बार शिकायत में संशोधन होने के बाद, बीमाकर्ता को संशोधित शिकायत पर लिखित बयान दायर करने का अधिकार प्राप्त होगा।

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के गुण-दोष का आकलन करते समय, शुरुआत में यह बताना आवश्यक है कि बीमाकर्ता द्वारा क़ानून में निर्धारित अवधि के भीतर कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था। हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण निजी मामले में संविधान पीठ का फैसला लिमिटेड (उपरोक्त) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13 (पंद्रह दिनों तक की और छूट के साथ तीस दिन) में प्रदान की गई अवधि को अनिवार्य माना है। हालांकि, इस निर्णय को संभावित प्रभाव दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत, जैसा कि यह है, बीमाकर्ता को दावे का निपटान करने और भुगतान करने की आवश्यकता होती है। बीमाकर्ता ने 6 मार्च 2020 को दावे को अस्वीकार कर दिया।

विवाद मेसर्स एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस पी. वी. टी. में योग्यता है। लिमिटेड। वी. मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

10. चाहे जो भी हो, यह अपीलार्थी को तय करना है कि क्या शिकायत में संशोधन किया जाना चाहिए या क्या वह विकल्प का अनुसरण करेगा। अभिवचनों के साथ आगे बढ़ने के लिए जैसे वे खड़े हैं। यह अपीलार्थी को तय करना है कि क्या शिकायत को आगे बढ़ाने के बजाय, जैसा कि यह है, इसे या तो करना चाहिए:

के खंडन को चुनौती देने के लिए शिकायत में संशोधन करें

((i)

बीमा दावा; या

नए सिरे से शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता के साथ मौजूदा शिकायत को वापस लें

((ख)

दावे के खंडन को चुनौती देने वाली शिकायत।

11. पुनर्कथन के लिए, वर्तमान स्थिति में, अपीलार्थी कार्रवाई के तीन पाठ्यक्रमों में से किसी एक का सहारा ले सकता है, अर्थात्:

शिकायत का यथा स्थिति पालन करें; या

((i) ((ख)

अस्वीकृति पत्र को चुनौती देने के लिए शिकायत में संशोधन करें;

या

स्थापित करने की स्वतंत्रता के साथ मौजूदा शिकायत को वापस लें

(iii)

अस्वीकृति पत्र को चुनौती देने के लिए नई शिकायत।

12. एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश में त्रुटि अपीलार्थी को शिकायत में संशोधन करने के लिए मजबूर करना था, जिसके परिणामस्वरूप, इसने पहले प्रतिवादी को लिखित बयान दायर करने की अनुमति दी।

संशोधित शिकायत। इसका प्रभाव अपीलार्थी को इस आग्रह के लाभ से वंचित करना होगा कि इस [2021] 12 एस. सी. आर. में लिखित बयान दाखिल नहीं किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हिल्ली में संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए मंच बहुउद्देशीय शीत भंडारण निजी लिमिटेड (ऊपर)। अभाव

ऐसी याचिका स्थापित करने का अधिकार अपीलार्थी के लिए पूर्वाग्रह का विषय है जो एन. सी. डी. आर. सी. के विवादित आदेश का परिणाम है। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है कि क्या प्रतिवादी लिखित बयान दायर कर सकता है क्योंकि यह वर्तमान अपील का विषय नहीं है। हमारा मानना है कि अपीलार्थी को निर्देशित नहीं किया जा सकता था

के अनुबंध के अस्वीकृति को चुनौती देने के लिए शिकायत में संशोधन करना बीमा। अपीलार्थी ने कहा है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता है। यह एक ऐसा निर्णय है जो अपीलार्थी द्वारा लिया जाना है और यह नहीं हो सकता है

शिकायत में संशोधन करने के लिए मजबूर।

13. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि एन. सी. डी. आर. सी. ने शिकायत में संशोधन करने के लिए अपीलार्थी को निर्देश जारी करने और पहले प्रतिवादी को संशोधित शिकायत पर अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने में गलती की थी, बशर्ते कि लागत का भुगतान किया जाए। अनिवार्य रूप से, आई. ए. जो पहले प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया था, इस आधार पर था कि शिकायत अपरिपक्व थी क्योंकि दावे को सत्यापित करने की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई थी। अब, जब दावे को अस्वीकार कर दिया गया है, तो पहले प्रतिवादी के अनुसार, आई. ए. बच नहीं पाएगा। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि हमने बीमाकर्ता द्वारा अस्वीकृति के कथित कार्य के प्रभाव या परिणाम पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है क्योंकि मामला अभी भी होना बाकी है।

एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष आग्रह किया। उस संबंध में पक्षों के सभी अधिकार और विवाद खुले रखे जाते हैं। तदनुसार, एन. सी. डी. आर. सी. के 11 मार्च 2021 के विवादित आदेश को इस हद तक दरकिनार कर दिया गया है कि वह 2020 के आई. ए. 3463 का निर्णय लेता है। हम स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी को कार्रवाई के तीन पाठ्यक्रमों में से किसी एक का पालन करने की स्वतंत्रता हो सकती है, जैसा कि इस आदेश के पहले भाग में संकेत दिया गया है, अर्थात्:

बिना किसी संशोधन के शिकायत को आगे बढ़ाना;

((i)

या

शिकायत में संशोधन की मांग करना; या

((ख) (iii)

नए सिरे से शिकायत दर्ज करने की स्वतंत्रता के साथ शिकायत वापस लेने के लिए

अस्वीकार के कथित कार्य को चुनौती देने के लिए शिकायत।

14. यदि अपीलार्थी उपरोक्त विकल्प (ii) का प्रयोग करता है, तो प्रथम प्रत्यर्थी को लिखित बयान दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

निर्धारित अवधि के भीतर संशोधित शिकायत। इस स्थिति में कि अपीलार्थी अभ्यास विकल्प (iii), अर्थात्, एक नई शिकायत स्थापित करने के लिए, एसीएमई क्लीनटेक सॉल्यूशंस पी. वी. टी.।

रेन्स कंपनी लिमिटेड। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]प्रत्यर्थी को ए डांस विद लॉ में लिखित बयान दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

15. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। 16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

गुजराल